छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

:: निविदा सूचना ::

कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पुराना भवन, एकीकृत भवन के भू–तल एवं प्रथम तल भाग, नवीन स्ट्रॉगरूम भवन, डाटा भवन, परीक्षा कक्ष, सम्पूर्ण कार्यालय परिसर एवं मेन गेट से अंदर आवासीय परिसर की तथा सम्पूर्ण प्रसाधन कक्षों की साफ–सफाई कार्य हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा में भाग ले सकते है।

संलग्नः– निविदा के नियम एवं शर्तें।

05/10/24

उपसचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

–: निविदा :–

कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पुराना भवन, एकीकृत भवन के भू–तल/प्रथम तल भाग, नवीन स्ट्रॉगरूम भवन, डाटा भवन, परीक्षा कक्ष, सम्पूर्ण कार्यालय परिसर एवं मेन गेट से अंदर आवासीय परिसर की तथा सम्पूर्ण प्रसाधन कक्षों की साफ–सफाई कार्य हेतु।

निविदा संबंधी निर्धारित तिथियाँ

स.क.	विवरण	दिनांक	समय
1.	निविदा जारी	दिनांक 28.09.2026 को	सायं 05: बजे तक
2.	प्री–बीड	दिनांक 12.10.2026 को	दोपहर 12:00 बजे
3.	निविदा खोलना	दिनांक 22.10.2026 को	सायं 04:00 बजे

1. तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव अलग–अलग प्रस्तुत करना होगा।
2. तकनीकी प्रस्ताव पूर्ण रूप से पाए जाने वाले निविदाकारों के ही वित्तीय प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
2. तकनीकी प्रस्ताव में पूर्ण वांछित जानकारी नहीं दिये जाने अथवा केवल आधी अधूरी जानकारी दिये जाने, शर्तें सम्मिलित करने, अस्पष्ट जानकारी दिये जाने पर निविदाकार को पृथक कर दिया जाएगा तथा उनके वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. वित्तीय प्रस्ताव में राशि अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी, जिसमें सभी प्रकार के कर, शुल्क आदि सम्मिलित होना चाहिए।

(सचिव द्वारा अनुमोदित)

Monika
24/09/26
उपसचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

–: निविदा की शर्तें एवं जानकारी :–

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :– ——————————————————
——————————————————————————————————————

2. स्थाई पता :– ——————————————————————————
——————————————————————————————————————

3. पत्र व्यवहार का पता :– ——————————————————————————
——————————————————————————————————————

4. टेलीफोन नम्बरः– ——————— एस.टी.डी. कोड ——————— ईमेल एड्रेस ——————————— मोबाईल नम्बर ——————————————

5. धरोहर राशि जमा विवरण रूपये 20,000/– (बीस हजार रूपये) बैंक ड्राफ्ट नम्बर ——— दिनांक ——————— बैंक का नाम एवं पता ——————————————
——————————————————————————————————————

6. (अ) पूर्व अनुभव का विवरण (संस्था द्वारा अवधि एवं कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।)

क्रमांक	संस्था का नाम	अवधि	राशि	कार्य विवरण	कार्य छोड़ने का कारण	कार्य समयावधि पूर्ण होने पर या पहले छोड़ा गया

(ब) वर्तमान में कहां–कहां कितनी अवधि से कार्य कर रहे हैं व कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं।

क्रमांक	संस्था का नाम	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक एवं अवधि	कर्मचारियों की संख्या

7. विगत तीन वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के आयकर रिटर्न (INCOME TAX RETURN) की छायाप्रति संलग्न करें।
8. श्रम विभाग की अनुज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न करें।
9. छत्तीसगढ़ शासन सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र या नगर निगम या नगर पालिका छत्तीसगढ़ या रजिस्ट्रार आफ कम्पनी का पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।

10. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें।

11. जी.एस.टी. रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें।

12. निविदा में भाग लेने वाले फर्म छत्तीसगढ़ राज्य का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

13. मण्डल कार्यालय के पुराना भवन, एकीकृत भवन के भू–तल/प्रथम–तल भाग, नवीन स्ट्रॉगरूम भवन, डाटा भवन, परीक्षा कक्ष, सम्पूर्ण कार्यालय परिसर, मेन गेट से अंदर आवासीय परिसर तक एवं लगभग 42 प्रसाधन कक्षों की साफ–सफाई कार्य के लिए प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक 08 सफाई कर्मचारी एवं 04 स्वीपर तथा दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक 08 सफाई कर्मचारी एवं 04 स्वीपर प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे। प्रातः 08:00 बजे से संध्या 04:00 बजे तक सम्पूर्ण परिसर, प्रसाधन कक्षों की कुल 04 बार सफाई की जायेगी।

14. सफाई कार्य में शिथिलता, समय का पालन न करने, प्रतिकूल कार्य व्यवहार, शिकायत प्राप्त होने पर सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को आर्थिक दंड अधिरोपित करने का विशेषाधिकार होगा, जो राशि रू. 5,000/– से 50,000/– तक हो सकता है।

15. निविदा शर्तों के पालन में शिथिलता बरतने एवं सुधार न करने उपरांत किसी गंभीर शिकायत की स्थिति में, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को यह अधिकार होगा कि निविदा निरस्त कर सकेंगे।

16. सफाई कर्मचारी समस्त तल के लिये एवं प्रसाधन कक्षों के लिये कार्यालयीन दिवसो में सुबह 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक एवं अवकाश के दिनों में सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे।

17. मेन गेट से अंदर आवासीय परिसर तक नालियॉ एवं पूरे परिसर की साफ–सफाई का कार्य प्रातः 08:00 बजे से 10:00 बजे तक करेंगे। विलम्ब पर मण्डल द्वारा अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा।

18. सफाई एजेंसी, सुपरवाईजर अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं रखेंगे।

19. सफाई एजेंसी सफाई कर्मियों हेतु प्रतिदिन के लिए उपस्थिति पंजी संधारित करेंगे एवं सप्ताह में एक बार प्रभारी अधिकारी से सत्यापित करायेंगे।

20. साफ–सफाई कार्य हेतु कुल स्थान/क्षेत्र :– छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पुराना कार्यालय भवन, एकीकृत भवन के भू–तल/प्रथम–तल भाग, नवीन स्ट्रॉगरूम भवन, डाटा भवन, परीक्षा कक्ष, सम्पूर्ण कार्यालय परिसर, मेन गेट से अंदर आवासीय परिसर तक एवं सम्पूर्ण प्रसाधन कक्ष।

21. निविदा प्रदायकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के आयकर रिटर्न (INCOME TAX RETURN), जी.एस.टी. रिटर्न की छायाप्रति, श्रम विभाग की अनुज्ञप्ति तथा छत्तीसगढ़ शासन सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र या नगर निगम या नगर पालिका छ.ग. की पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।

22. सफाई कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का शासन एवं श्रम कानून द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का पालन ठेकेदार द्वारा किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में मण्डल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। उक्त संबंधित विभागों द्वारा जानकारी मांगे जाने पर समस्त अभिलेख निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

23. राज्य स्तरीय कार्यालयों में कम से कम 10.00 लाख वार्षिक राशि (प्रतिवर्ष) का कार्य एवं कम से कम 03 वर्ष साफ–सफाई कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही उक्त संस्था द्वारा जारी कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

24. निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 20,000/– (बीस हजार रूपये) का डी.डी. जो सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना होगा।

25. निविदाकर्ता द्वारा साफ–सफाई कार्य हेतु प्रस्तुत दर, श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर (ESI/ EPF/ GST एवं निर्धारित अन्य दर सम्मिलित हो) से कम न हो।

26. निविदाकर्ता द्वारा निविदा, निर्धारित तिथि एवं समय पर जेम पोर्टल में निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

27. निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।

28. निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को होगा।

29. कार्य आबंटित एजेंसी को मण्डल कार्यालय भवन एवं परिसर में स्थित सभी भवनों के कक्ष, बरामदें, छत, ऑगन, शौचालयों, रेलिंग, गलियारों, सीढ़ियों, नालियों, चेम्बर समस्त खुले परिसर की साफ–सफाई करना होगा तथा दरवाजें, खिड़कियों से धूल–जाले तथा पान तंबाकू के दाग भी हटाना होगा।

30. आवासीय परिसर की समस्त खुले परिसर की साफ–सफाई, सीढ़ियों, नालियों एवं शौचालयों की साफ–सफाई प्रतिदिन दो बार करना होगा।

31. मण्डल कार्यालय, आवासीय परिसर एवं शिक्षक सदन के समस्त प्रसाधन कक्षों के चेम्बर, पाईप लाईन जाम तथा नालियों की सफाई करना आवश्यक होगा।

32. शौचालयों की सफाई में उत्तम गुणवत्ता के फिनाईल, लिक्विड सोप, फिनाईल गोलियॉ, ऑडोनील फ्रेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ हारपिक जैसे लिक्विड के प्रयोग से किया जाना होगा, शौचालयों की सफाई प्रति घंटे के अंतराल में करनी होगी। समस्त सामग्री का स्टॉक भी निरन्तर रखना होगा एवं इसकी जवाबदारी स्वयं सफाई एजेंसी की होगी।

33. जिन कक्षों में कारपेट लगे हो, वहां वैक्यूम क्लीनर एवं शैम्पू से सफाई किया जाना होगा।

34. डस्टबीन तथा थूकदानों की सफाई कर, कचरा हटाकर परिसर में नियत स्थान पर ले जाकर डालना होगा तथा थूकदान की रेत प्रतिदिन बदलनी होगी।

35. महिला शौचालयों की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी आवश्यक रूप से रखना होगा।

36. सफल निविदाकार द्वारा सभी सफाई कर्मी को ड्रेस देना होगा तथा ड्रेस में परिचय पत्र/विवरण अनिवार्य होगा।

37. साफ–सफाई के साथ पोंछा एवं धुलाई करना होगा, साथ ही फर्श, सीढ़ियों, रेम्प (टाइल्स, मार्बल व फर्श) की सफाई करनी होगी।

38. सभी फर्नीचरों, दरवाजों, खिड़कियों की तथा कॉच/ग्रिल की रोजाना सफाई की जायेगी।

39. मशीनों का उपयोग मार्बल/कोटा स्टोन, टाइल्स तथा फर्श आदि के लिए किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मशीन जिससे कार्यगुणवत्ता बढ़ती हो, तो निविदाकर्ता उसका पृथक से उल्लेख निविदा प्रस्ताव में कर सकता है।

40. सफाई कर्मियों को अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा तथा कक्षों में रखे अभिलेख एवं उपकरणों को क्षति से बचाना होगा, यदि किसी अभिलेखों या उपकरणों को क्षति पहुंचाना पाया गया तो होने वाली हानि की सम्पूर्ण वसूली एजेंसी से की जायेगी।

41. सुरक्षा की दृष्टि से, समस्त सफाई कर्मियों की व्यक्तिगत पहचान से संबंधित दस्तावेज की सत्यापित फोटो प्रति मण्डल कार्यालय की भवन शाखा में जमा करना आवश्यक होगा।

42. सफाई कर्मियों के संदिग्ध अवस्था में पाए जाने, मण्डल कर्मियों से दुर्व्यहार करने एवं ठीक से काम नहीं करने पर उसे मण्डल कार्यालय की साफ–सफाई कार्य से मण्डल द्वारा स्वयं हटा दिया जावेगा।

43. मण्डल कार्यालय भवन की उचित साफ–सफाई नहीं होने पर शिकायत आने पर या निरीक्षण में लापरवाही एवं अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रूपये 5,000/– (अक्षरी पांच हजार रूपये) तक प्रतिदिन शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित कर कटौती मासिक देयक से की जावेगी।

44. सफाई की पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकार फर्म द्वारा की जावेगी तथा मण्डल कार्यालय की भवन शाखा की देख–रेख में उसका उपयोग किया जावेगा, आवश्यकता पड़ने पर इसकी गुणवत्ता की जांच मण्डल कार्यालय या निर्देशानुसार अधिकृत समिति द्वारा की जावेगी।

45. परिसर में जब मशीनों का उपयोग नहीं रहेगा तब मण्डल द्वारा निर्धारित अवधि में मशीनों को परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति मण्डल कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।

46. अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद नहीं होने की दशा में एक सप्ताह का नोटिस जारी किया जावेगा। जवाब संतोष जनक न होने पर मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही कर निविदा कभी भी निरस्त की जा सकती है।

47. निविदा के नियम एवं शर्तों की प्रत्येक कंडिका में उल्लेखित प्रक्रिया का शब्दशः पालन करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा एवं उसका उल्लंघन करने पर उक्त कार्यवाही को (Breach of contract) (अनुबंध शर्तों का उल्लंघन) मानते हुये फर्म को डिबार या काली सूचीं

में डाल कर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को होगा। इस परिस्थिति में निविदाकार की उपलब्ध सुरक्षा निधि जब्त कर ली जावेगी।

48. प्रत्येक माह सफाई का कार्य संतोषजनक पाये जाने तथा भवन शाखा द्वारा सत्यापन पश्चात् ही माह के अंत में प्रस्तुत देयक का भुगतान किया जावेगा।

49. अमानत राशि के रूप में जमा राशि ठेके की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में राजसात की जा सकेगी।

50. ठेके की अवधि में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद पर निर्णय करने का सम्पूर्ण अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को होगा तथा उनका निर्णय बंधनकारी होगा।

51. सफल फर्म को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अनुबंध संपादित कर कार्य प्रारंभ करना होगा।

52. निविदाकार केवल साफ–सफाई कार्य से संबद्ध, पंजीकृत एजेंसी होना अनिवार्य होगा।

53. निविदा में भाग लेने वाले फर्म छत्तीसगढ़ राज्य का पंजीकृत होना अनिवार्य है।

54. मण्डल साफ–सफाई करने वाली फर्म के अनुभव को आधार मानेगा।

55. अनुबंधकर्ता नियत अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि बीच में स्वयं एजेंसी द्वारा यदि कार्य छोड़ा गया तो नवीन ठेके से होने वाली क्षति की वसूली अनुबंधकर्ता से की जावेगी।

(सचिव द्वारा अनुमोदित)

Monika
24/09/26
उपसचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर